सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	*RAJASTHAN GAZETTE* *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 19, बुधवार, शाके 1941 - जुलाई 10, 2019
Asadha 19, Wednesday, Saka 1941- July 10, 2019

भाग 3 (क)
राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, 10 जुलाई, 2019

संख्या एफ.13(13)विशा/विस/2019 राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 जैसा कि दिनांक **10 जुलाई, 2019** को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2019 का विधेयक सं.13

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962,राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2019 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड3, 8और 9के उपबंध उक्तअधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 2 केखण्ड (36) में विद्यमान स्पष्टीकरण III के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण IVजोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण IV.-** राज्य में खुदरा आउटलेट्स को डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकमउस कीमत के बराबर समझी जायेगी जिस पर खुदरा आउटलेट्स ये वस्तुएं उपभोक्ता को विक्रय करते हैं;"।

अध्याय 3
राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

4.2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 174 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9)की धारा 174 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (2क) अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

(i) ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं और आदेशों से लोप करने, उनमें जोड़ने और उनका अनुकूलन तथा उपान्तरणकरने के लिए;

(ii) निरसित अधिनियमों के अधीन वसूलीय बकाया शोध्यों के परिनिर्धारण के लिए किसी स्कीम की विरचना को सम्मिलित करते हुए, निरसित अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय कर की वसूली, छूट, अधित्यजन, अपलेखनया रिबेट के लिए;और

(iii) ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को, जोनिरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्रयोक्तव्य ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, जैसाकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये,विनिर्दिष्ट करने के लिए,

ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।"।

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

5.1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 8क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 8 के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा 8क अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**8क.राज्य सरकार की कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की शक्ति.-**इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोक हित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,प्रदायकों याव्यक्तियों के किसी भी वर्ग द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

6.1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

"(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:"।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 60 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 60 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कलक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) मेंस्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) मेंस्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) मेंस्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपये के अध्यधीन रहते हुए-" हटायीजायेगी;और

(iv) अनुच्छेद 58 मेंस्तम्भ सं. 2 के अधीन आयीविद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पन्द्रह हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए," हटायी जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

9.1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(I) विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे यानों के संबंध में जो खण्ड (ख), (ग), (गग) और (घ) के अन्तर्गत नहीं आते हों, कर, ऐसीदरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वाराविनिर्दिष्ट की जायें, जो इस राज्य के माल यानों के लिए सकल यान भार के प्रति हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2000/- रुपये प्रतिवर्ष और यात्री यानों के लिए प्रति सीट 2000/- रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी:

परन्तु जहां दरें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारात्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या मासिक आधार पर विनिर्दिष्ट नहीं की जायें और यदि कर का त्रैमासिक रूप से, अर्द्धवार्षिक रूप से या मासिक रूप से संदत्त किया जाना अनुज्ञेय हो तो संदेय रकम कर की वार्षिक दर की क्रमश: एक चौथाई, आधी या एक बटे बारह के समतुल्य रकम होगी;

(ख) गैर-परिवहनयानों के मामले में और परिवहन यानों के ऐसे वर्ग के मामले में, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एकबारीय कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो यान/चैसिस की लागत के 50% से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऊपर उल्लिखित गैर-परिवहनयानों के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण परअतिरिक्त एकबारीय कर,ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, संदेय होगा;";

(II) खण्ड (ग) मेंविद्यमान अभिव्यक्ति "यात्री यानों की दशा में 7 दिन या उसके भाग के लिए 500/- रुपये प्रति सीट से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यात्री यानों की दशा में 2000/- रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए,सकल यान भार के प्रति हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2000/- रुपये से अधिक नहीं होगा"प्रतिस्थापित की जायेगी;

(III) विद्यमान खण्ड (ङ) हटाया जायेगा;और

(ii) उप-धारा (2) में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "या एकमुश्त कर" हटायी जायेगी;और

(II) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10.1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-ख और 4-ग का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-ख और 4-ग हटायी जायेगी।

11.1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4-ख और 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-ङ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ङ की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4-ख और 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, धारा 4-ख और धारा 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(II) प्रथम परन्तुक में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा, और विद्यमान द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "या एकमुश्त कर" हटायी जायेगी;

(II) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(III) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ङ) या धारा 4-ग के अधीन संदेय पूरा कर या कर की प्रथम किस्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4औरधारा 4-ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14.1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

"**7. कर का प्रतिदाय.-** (1) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर से भिन्न कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी के

समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, कर का पिछली बार संदाय किये जाने के समय से लगातार एक मास से अन्यून की कालावधि तक उपयोग में नहीं लिया गया है तो वह उस कालावधि के, जिसके लिए ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, प्रत्येक पूरे मास के लिए, ऐसे यान के संबंध में संदत्त कर की वार्षिक दर के 1/12 के बराबर रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(2) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, राज्य के बाहर ले जाया गया है या पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है तो वह विहित रीति से आनुपातिक आधार पर ऐसे कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(3) कराधान अधिकारी, देय कर से अधिक संदत्त किसी भी रकम का विहित रीति से प्रतिदाय या समायोजन कर सकेगा।"।

15. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा, और विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (2) के खण्ड (क) मेंविद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (ख) और खण्ड (ङ)"के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित की जायेगी;और

(iii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) मेंविद्यमान अभिव्यक्ति "यान पर विहित रीति से प्रदर्शित किया जायेगा"के स्थान पर अभिव्यक्ति"यान में विहित रीति से रखा जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10-क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10-कहटायी जायेगी।

17. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10-ख में विद्यमान अभिव्यक्ति ",विशेष टोकन" हटायी जायेगी।

18.1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या विशेष सड़क कर" हटायी जायेगी।

19.1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति"यान पर टोकन प्रदर्शित करने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यान में टोकन रखने" प्रतिस्थापित की जायेगी;और

(ii) खण्ड (खखख) मेंविद्यमान अभिव्यक्ति ",विशेष टोकन" हटायी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

वर्तमान में, पेट्रोल और डीजल पर कर का उद्ग्रहण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा विक्रयों की श्रृंखला के प्रथम बिन्दु पर किया जाता है। इस प्रकार, तेल कंपनियां खुदरा आउटलेट्स से वसूली गयी कीमत पर करका संदाय कर रही हैं,न कि उपभोक्ताओं द्वारा संदत्त की गयी कीमत पर। ऐसी कीमत,जोउपभोक्ता खुदरा आउटलेट्स को संदत्त करता है, पर कर प्रभारित करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (36) में एक नया स्पष्टीकरण IV जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रारंभ होने पर कतिपय विद्यमान अधिनियम निरसित किये गये थे। वर्तमान में,निरसित अधिनियमों से संबंधित कतिपय मामलों का निस्तारणकरने के लिए उक्त अधिनियम में कोई सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है।इसलिएइन मामलों का निस्तारणकिये जाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 174 कोसंशोधित किया जाना समुचित समझा गया है।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962

वर्तमान में,राज्य सरकार के पास विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति है। तथापि, इस अधिनियम मेंप्रदायकों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा संदेय शास्ति और ब्याज के अधित्यजन या उसमें कमी करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रदायकों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा संदेय शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने या कम करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम में एक नयी धारा 8क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3ऐसी लिखत को स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य बनाती है जो अनुसूची में उल्लिखित है चाहे ऐसी लिखत राज्य में या राज्य के बाहर निष्पादित की जाये। राज्य के बाहर निष्पादित की गयी लिखत तबही प्रभार्य होती है यदि ऐसी लिखत राज्य में स्थित किसी संपत्ति या राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी भी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है।

इन उपबंधों का स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित लिखतें राज्य के बाहर साशय निष्पादित की जा रही हैं।

इसलिए, इन उपबंधों को और स्पष्ट बनाने की दृष्टि से और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए, राजस्थान राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित लिखतों को,चाहे ऐसी लिखतें राजस्थान राज्य में प्राप्त की गयी हों या नहीं, स्टाम्प शुल्क से प्रभारित करने के लिएधारा 3 का खण्ड (ख) यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 60 के वर्तमान उपबंधों के अनुसार किसी बैंककार द्वारा या किसी अन्य निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए प्ररूपों के लिए उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिए छूट, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा या उस दशा में कलक्टर द्वारा, जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी द्वारा सशक्त किया गया हो, दी जा सकती है। स्टाम्पित कागजों के अन्य प्रवर्गों के लिए छूट देने हेतु कलक्टर सशक्त है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से स्टाम्पित कागजों के ऐसे प्रवर्ग के लिए भी छूट देने हेतु कलक्टर को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।

किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित किसी करार या करार के ज्ञापन पर स्टाम्प शुल्क की दर 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार या किसी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) पर स्टाम्प शुल्क की दर 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी कम्पनी के आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हस्तांतरण-पत्र पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा से संबंधित उपबंध हटाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

संकर्म संविदा पर संदेय स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा से संबंधित उपबंध हटाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 58 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 राज्य सरकार को, राज्य में रखे गये या उपयोग के लिए रखे गये मोटर यानों पर कर उद्गृहीत करने के लिएसशक्त करती है। धारा 4-ख, माल यानों और यात्री यानों के मामले में चेसिस या यान की लागत के आधार पर समस्त परिवहन यानों पर विशेष सड़क कर के अधिरोपण का उपबंध करती है। संविदा गाडियों और मंजिली गाडियों के अधिकांश प्रवर्गों में यानों की लागत में तीव्र वृद्धि और बाजार में अत्यधिक उच्च लागत के यानों के आगमन के कारण कर की अधिकतम सीमा नियत की गयीथी। इससे किसी यान द्वारा संदेय करों की रकम व्यनुपाती हो गयी है। इसलिए, माल यान के लिए सकल यान भार के आधार पर और यात्री यानों के लिए बैठक क्षमता के आधार पर मोटर यान कर अधिरोपित किया जाना युक्तियुक्त और उचित प्रतीत होता है। इसलिए, धारा 4 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में मोटर यानों पर कराधान कीविविधता है। परिवहन यानों के लिए इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन मोटर यान कर और धारा 4-ख के अधीन विशेष सड़क कर संदत्त करना आवश्यक

है। कर पैटर्न, संदाय-प्रक्रिया को सरल बनाने और कर अभिलेख के डिजीटाइजेशन के लिए,धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सभी परिवहन यानों पर एक ही मोटर यान कर उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है।तदनुसार,इस अधिनियम की धारा 4-ख को हटाया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) के अधीन गैर-परिवहन यानों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के समय एकबारीय कर का संदाय करना आवश्यक है। इसी प्रकार कतिपय परिवहन यानों, जैसेकि 16500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल यानों, तिपहिया यात्री यानों, कैब, मैक्सी कैब और 22 तक की बैठक क्षमता वाली संविदा गाड़ी बसों/निजी सेवा यानोंके लिए इस अधिनियमकी धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर संदत्त करना आवश्यक है। दोनों कर समान प्रकृति के हैंऔर किसी यान के अस्तित्व में रहने तक के लिए संदत्त किये जाते हैं। इसलिए, इन करों को एक ही प्रवर्ग अर्थात् एकबारीय कर में रखा जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, इस अधिनियम की धारा 4-गको और अभिव्यक्ति 'एकमुश्त कर',जहां कहीं भी अधिनियम में आयी हो,को हटाया जाना प्रस्तावित है।

गैर-परिवहन यान से परिवहन यान के प्रवर्ग में संपरिवर्तन के कारण, संदत्त एकबारीय कर के प्रतिदाय का उपबंध है। चूंकि दोनों प्रवर्गों को एकबारीय कर के संदाय के अधीन रखा जाना प्रस्तावित है, इसलिए प्रवर्ग के संपरिवर्तन की दशा में केवल कर के अंतर की रकम वसूल की जायेगी।अत:,एकबारीय कर का प्रतिदाय अपेक्षित नहीं होगा, तदनुसार, धारा 7 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4, 4-घ, 4-ङ, 5, 10, 10-क, 10-ख, 11 और 22 में भी कतिपय पारिणामिक संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(43)वित्त/कर/2019दिनांक 10.07.2019

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017,राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962,राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव

Bill No.13 of 2019

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2019

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017,the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2019-20 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2019.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3,8 and 9of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In clause (36) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), after the existing Explanation III, the following Explanation IV shall be added, namely:-

"**Explanation IV.-** The amount received or receivable by oil companies for the sale of diesel and petrol to the retail outlets in the State shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets sell these commodities to the consumer;".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

4. Amendment of section 174, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new sub-section (2A) shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as appears to it necessary or expedient, for-

(i) making omissions from, additions to and adaptations and modifications of the rules made, notifications and orders issued under the repealed Acts, from such date as may be specified therein;

(ii) recovery, exemption, waiver, write off or rebate of tax leviable under the repealed Acts including framing of any scheme for settlement of outstanding dues recoverable under the repealed Acts; and

(iii) specifying the authority, officer or person who shall be competent to exercise such functions exercisable under any of the repealed Acts or any rules made, notifications or orders issued thereunder as may be mentioned in the said notification.".

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

5. Insertion of section 8A, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- After the existing section 8 and before the existing section 9 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the following new section 8A shall be inserted, namely:-

"**8A.Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable under this Act, by anyclass of suppliers or persons, subject to such terms and conditions as may be specified therein.".

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

6. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State, or relates to any property situate in the State:".

7. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 60 of the principal Act, for the existing expression "The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf", the expression "The Collector" shall be substituted.

8. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in clause (d) of Article 5, for the existing expression "0.15%" appearing under column No. 2, the expression "0.25%" shall be substituted;

(ii) in clause (a) of Article 6, for the existing expression "0.15%" appearing under column No. 2, the expression "0.25%" shall be substituted;

(iii) in clause (iii) of Article 21, the existing expression "Subject to a maximum of twenty five crores rupees-" appearing under column No. 2, shall be deleted;and

(iv) in Article 58, the existing expression "subject to maximum of rupees 15,000/-" appearing under column No. 2 shall be deleted.

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

9. Amendment of section 4, Rajasthan Act No.11 of 1951.- In section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(I) for the existing clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:-

"(a) a tax in respect of such vehicles which are not covered by clause (b), (c), (cc) and (d) at such rates as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette which shall not exceed Rs. 2000/- per thousand Kg. of Gross Vehicle Weight or part thereof per year for goods vehicles and Rs. 2000/- per seat per month for passenger vehicles of this State:

Provided that where the rates are not specified, on quarterly, half yearly or monthly basis, by the State Government, by notification in the Official Gazette and if the tax is permissible to be paid quarterly, half yearly or monthly, the amount payable shall be equivalent to the one forth, one half or one twelfth respectively of the annual rate of tax;

(b) aonetime tax in the case of nontransport vehicles and in case of such class of transport vehicles,as may be specified by notification in the Official Gazette, at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette which shall not exceed 50% of the cost of the vehicle/chassis:

Provided that on every transfer of ownership of nontransport vehicles mentioned above, an additional one time tax shall be payable at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette;";

(II) in clause (c), for the existing expression "not exceed Rs. 500/- per seat for 7 days or part thereof in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/-per thousand Kg. Gross Vehicle Weight/Registered Laden Weight",the expression "not exceed Rs. 2000/- per day in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 2000/-per thousand Kg. Gross Vehicle Weight"shall be substituted;

(III) the existing clause (e) shall be deleted; and

(ii) in sub-section (2),-

(I) the existing expression "or lump sum tax" shall be deleted; and

(II) in second proviso, for the existing expression "or clause (e) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C", the expression "of sub-section (1) of section 4" shall be substituted.

10. Deletion of section 4-B and 4-C, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-The existingsections 4-B and 4-C of the principal Act, shall be deleted.

11. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-In sub-section (1) of section 4-D of the principal Act, for the existing expression "sections 4, 4-B and 4-C", the expression"section 4" shall be substituted.

12. Amendment of section 4-E, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-In sub-section (1) ofsection 4-Eof the principal Act, for the existing expression "sections 4, 4-B and 4-C", the expression "section 4" shall be substituted.

13. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(I) for the existing expression "section 4, section 4-B and section 4-C", the expression "section 4" shall be substituted;

(II) in the first proviso, for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted, and the existing second proviso shall be deleted;

(ii) in sub-section (2),-

(I) the existing expression "or lump sum tax" shall be deleted;

(II) in the first proviso, for the existing expression "section 4-B", the expression "clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;

(III) in the second proviso, for the existing expression "section 4-B", the expression "clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;

(iii) in sub-section (3), for the existing expression "clause (b) or (e) of sub-section (1) of section 4 or full tax or first instalment of tax under section 4-C", the expression "clause (b) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;and

(iv) in sub-section (4), for the existing expression "section 4and section 4-B", the expression "section 4"shall be substituted.

14. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**7. Refund of tax.-** (1) When any person who has paid the tax other than one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of not less than one month since the tax was last paid, he shall be entitled to the refund of an amount equal to $1/12^{th}$ of the annual rate of the tax paid in respect of such vehicle for each complete month of the period for which such tax has been paid.

(2) When any person who has paid one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle, in respect of which such tax has been paid, has been taken out of the State or has completely been destroyed shall be entitled to the refund of such tax on pro rata basis in the prescribed manner.

(3) The Taxation Officer may refund or adjust in the prescribed manner any amount paid in excess of the tax due.".

15. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-In section 10 of the principal Act,-

(i) in clause (b) of sub-section (1),for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted, andthe existing proviso shall be deleted;

(ii) in clause (a) of sub-section (2), for the existing expression "clause (b) and clause (e)", the expression "clause (b)"shall be substituted; and

(iii) in clause (b) of sub-section (2), for the existing expression "exhibited on", the expression "kept in" shall be substituted.

16. Deletion of section 10-A, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-The existing section 10-A of the principal Act shall be deleted.

17. Amendment of section 10-B, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 10-B of the principal Act, the existing expression ", special token" shall be deleted.

18. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In clause (a) of sub-section (1) of section 11 of the principal Act, the existing expression "or special road tax" shall be deleted.

19. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-In sub-section (2) of section 22 of the principal Act,-

(i) in clause (b), for the existing expression "exhibiting a token on", the expression "keeping a token in" shall be substituted; and

(ii) in clause (bbb), the existing expression "special token" shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Presently, the levy of tax on petrol and diesel is at the first point in the series of sales by a registered dealer. Thus, the oil companies are paying tax on the price charged to the retail outlets and not on the price paid by the consumers. In order to collect tax on the price which the consumer pays to the retail outlets, it is proposed to add a new, explanation IV in clause (36) of section 2 of Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

On introduction of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, certain existing Acts were repealed. At present, there is no enabling provision in the said Act to dispose of certain issues, related to the repealed Acts.Therefore, to dispose of these issues it is considered appropriate to amend section 174 of the aforesaid Act.

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

Presently, the State Government has power to grant exemption from payment of Electricity Duty. However, there is no provision for waiver or reduction of penalty and interest payable by such class of suppliers or persons in the Act. Keeping this objective in view, it is proposed to insert a new section 8A in the Act to empower the State Government to reduce or waive the penalty and interest payable by such class of suppliers or persons**.**

RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 makes the instruments chargeable with stamp duty which is mentioned in the Schedule whether such instrumentis executed in State or out of the State. Instrument executed out of the State becomes chargeable only if such instrument relates to any property situate, or to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State.

These provisions are being misused to avoid stamp duty. Instruments relating to immovable property situate in the State of Rajasthan are being intentionally executed out of the State.

Therefore with a view to make the provisions more clear and to plug the revenue evasion, clause (b) of section 3 is proposed to be amended suitably to charge the instruments, with stamp duty, related to any property situate in the State of Rajasthan whether such instrument received in State of Rajasthan or not.

As per present provisions of section 60 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 allowance for stamp papers used for printed form of instruments by any banker or by any other incorporated company or other body corporate can be made by the Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority. For other categories of stamp papers the Collector is empowered to make the allowance. With a view to simplify the procedure the Collector is proposed to be empowered to make allowance for such category of stamp papers also.

Clause (d) of Article 5 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on an agreement or a memorandum of an agreement relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or finance company from 0.15 percent to 0.25 percent.

Clause (a) of Article 6 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on an agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge from 0.15 percent to 0.25 percent.

Clause (iii) of Article 21 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to delete the provision regarding maximum limit of stamp duty on conveyance relating to the order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company.

Article 58 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to delete the provision regarding maximum limit of stamp duty payable on works contract.

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 empowers the State Government to levy taxes on motor vehicles kept or kept for use in the State. Section 4-B provides imposition of special road tax on all transport vehicles on the basis of cost of the chassis or vehicle in the cases of goods vehicles and passenger vehicles. In most of the categories of contract carriage and stage carriage a ceiling had been fixed owing to exponential increase of cost of vehicles and induction of very high cost vehicles in the market. This has led to disproportionate amount of payable taxes by a vehicle. Therefore, it seems reasonable and appropriate to impose motor vehicle tax on the basis of Gross Vehicle Weight for goods vehicle and seating capacity for passenger vehicles. Therefore, section 4 is proposed to be amended.

There is multiplicity of taxation on motor vehicles in the state.Transport vehicles require to pay motor vehicle tax under section 4 and special road tax under section 4-B of the Act. In order to make simplification of tax pattern, payment procedure and digitisation of tax records,a single motor vehicles tax under clause (a) of sub-section (1) of section 4 is proposed to be levied on all transport vehicles.Accordingly section 4-B of the Actis proposed to be deleted.

Nontransport vehicles require to pay onetime tax at the time of registration under clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Act. Likewise certain transport vehicles as goods vehicle having Gross Vehicle Weight upto 16500 Kg., three wheeled passenger vehicles, cabs, maxi cabs and contract carriage buses/private service vehicles up to seating capacity of 22, are required to pay lump sum tax under section 4-C of the Act. Both the taxes are of similar nature and paid for life time of a vehicle. Therefore, these taxes are proposed to be put under single category i.e. onetime tax. Accordingly, section 4-C of the Act and the expression 'lump sum tax' wherever occurring in the Act is proposed to be deleted.

A refund of paid one time tax is provisioned owing to conversion of category of vehicle from nontransport to transport. Since both the categories are proposed to be put under payment of one time tax, only difference amount of tax would be realised in the event of conversion of category. Therefore, refund of one time tax will not be required, accordingly section 7 is proposed to be amended.

Certain consequential amendments are also proposed to be made in sections 4, 4-D, 4-E, 5, 10, 10-A, 10-B, 11 and 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(43)वित्त/कर/2019दिनांक 10.07.2019

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017,the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2019-20 and to make certain other provisions.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.